न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः– 746/2019

1. हरबंश सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. जसवंत सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. मनप्रीत सिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. गुरसेवक सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0) नाबालिग जरिए कूदरतीबली माता मनदीप कौर पत्नि जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. जरनैल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ (राज0)

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,
92ए, 188 आरटीए

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1. श्री कुन्दन लाल चुघ अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री मोहित चुघ अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1
3. राजपैरोकार	प्रतिवादी संख्या 2, 3

निर्णय

दिनांक 10.2.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक न0 42 एम एम के तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 25/27 की प0न0 40/203 मु0न0 48 किला न0 18 ता 20 की 0.759 हैक्टर व चक न0 39 एम एम के तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 22/20 की मु0न0 48 किला न0 21, 22 की 0.506 हैक्टर व खाता संख्या 71/68 की मु0न0 15 किला न0 11, 20, 21 की 0.759 हैक्टर मु0न0 22 किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 21 की 3.289 मु0न0 33 किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.150 हैक्टर मु0न0 36 किला न0 1, 2, 9 ता 12 की 1.493 हैक्टर कुल 7.691 हैक्टर रकबा में 1.771 हैक्टर रकबा है। चक न0 2 यू एम डब्लयू तहसील हनुमानगढ की जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 35/34 की प0न0 37/202 मु0न0 10 किला न0 11 ता 15 की 1.265 हैक्टर प0न0 37/203 मु0न0 13 किला न0 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर प0न0 37/204 मु0न0 16 किला न0 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर कुल 3.289 हैक्टर रकबा नहरी व बारानी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण संख्या 1 व 2 जरनैल सिंह प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है। वादी संख्या 3 व 4 जरनैल सिंह प्रतिवादी संख्या 1 के पौत्र है। जरनैल सिंह को पेरा न0 2 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक है। जरनैल सिंह के नाम से तमाम कृषि भूमि जद्दी जायदाद है। जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण ने काश्त की सहूलियत को देखते हुए अपनी तमाम कृषि भूमि का घरेलू तौर पर विभाजन कर लिया है। विभाजन के तहत वादीगण संख्या 3 व 4 के हक व हिस्से में चक न0 42 एम एम के तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 25/27 की प0न0 40/203 मु0न0 48 किला न0 18 ता 20 की 0.759 हैक्टर व चक न0 39 एम एम के तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 खाता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्या 22/20 की मु0न0 48 किला न0 21, 22 की 0.506 हैक्टर व खाता संख्या 71/68 की मु0न0 15 किला न0 11, 20, 21 की 0.759 हैक्टर मु0न0 22 किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 21 की 3.289 मु0न0 33 किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.150 हैक्टर मु0न0 36 किला न0 1, 2, 9 ता 12 की 1.493 हैक्टर कुल 7.691 हैक्टर रकबा में 1.771 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर रकबा में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है व वादी संख्या 1 व 2 चक न0 2 यू एम डब्लयू तहसील हनुमानगढ की जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 35/34 की प0न0 37/202 मु0न0 10 किला न0 11 ता 15 की 1.265 हैक्टर प0न0 37/203 मु0न0 13 किला न0 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर प0न0 37/204 मु0न0 16 किला न0 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर कुल 3.289 हैक्टर रकबा के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन के तहत अपनी–अपनी कृषि भूमि काश्त कर रहे है। वादीगण की कब्जा काश्त में उपरोक्त भूमि है। वादीगण को घरेलू विभाजन के तहत प्राप्त भूमि पर वादीगण की शान्तिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 में यह तय हुआ था कि जब भी वादीगण चाहेगे प्रतिवादी संख्या 1 उसके नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवेगा। वादीगण ने घरेलू विभाजन के तहत प्राप्त कृषि भूमि को अपने श्रम साधनो से उपजाऊ बनाया है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को आज से एक सप्ताह पूर्व कहा कि हमारे हक व हिस्से की कृषि भूमि जिस पर हम वादीगण की कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दो। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही विनाय मुखास्मत दावा है। वादीगण के हक व हिस्से में प्राप्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को बैय व रहन एवं हस्तान्तरण कर सकता है। जिससे हम वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान पहुंचेगा। जिसकी क्षति–पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से संभव नही है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आश्य की पाने की अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें व वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बैय व रहन एव हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री मोहित चुघ ने वकालतनामा पेश किया व इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तरफ से जवाब स्टेट पेश हुआ कि राज्य हित को मध्य नजर रखते हुए वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही होगा। वादपत्र में किसी प्रकार का विरोध नही होने पर बहस उभय पक्ष की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र को इकबाल दावा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एंव बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है। वादी संख्या 3 व वादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 के पौते है। वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सहदायिक सदस्य है। हिन्दू सहदायिक परिवार की सम्पति में प्रत्येक सदस्य का हक व हित होता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में घरेलू तौर पर अपनी कृषि भूमि का विभाजन कर रखा है। उक्त तथ्यो को प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाल दावा पेश कर वादपत्र की ताईद की है। वादीगण के कथनो पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सहमति प्रकट की है तथा वादीगण की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, इकबाल दावा एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण मुताबिक इकबाल दावा से स्वीकार कर लिये जाने पर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर व तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादी संख्या 3 व 4 चक न0 42 एम एम के तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 25/27 की प0न0 40/203 मु0न0 48 किला न0 18 ता 20 की 0.759 हैक्टर व चक न0 39 एम एम के तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 22/20 की मु0न0 48 किला न0 21, 22 की 0.506 हैक्टर व खाता संख्या 71/68 की मु0न0 15 किला न0 11, 20, 21 की 0.759 हैक्टर मु0न0 22 किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 21 की 3.289 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

मु0न0 33 किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.150 हैक्टर मु0न0 36 किला न0 1, 2, 9 ता 12 की 1.493 हैक्टर कुल 7.691 हैक्टर रकबा में 1.771 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर रकबा में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादी संख्या 1 व 2 चक न0 2 यू एम डब्लयू तहसील हनुमानगढ की जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 35/34 की प0न0 37/202 मु0न0 10 किला न0 11 ता 15 की 1.265 हैक्टर प0न0 37/203 मु0न0 13 किला न0 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर प0न0 37/204 मु0न0 16 किला न0 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर कुल 3.289 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण का नाम उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जरनैल सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। आदेश मे वर्णित भूमि पर बैंक रहन होने के स्थिती मे बैंक रहन फक होने पर आदेश की पालना की जावे। तहसीलदार सादुलशहर एवं तहसीलदार हनुमानगढ को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/2/2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः– 746/2019

1. हरबंश सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. जसवंत सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. मनप्रीत सिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. गुरसेवक सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0) नाबालिग जरिए कूदरतीबली माता मनदीप कौर पत्नि जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. जरनैल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ (राज0)

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,
92ए, 188 आरटीए

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुन्दन लाल चुघ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री मोहित चुघ वकील प्रतिवादी संख्या 1 एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर व तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादी संख्या 3 व 4 चक न0 42 एम एम के तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 25/27 की प0न0 40/203 मु0न0 48 किला न0 18 ता 20 की 0.759 हैक्टर व चक न0 39 एम एम के तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 22/20 की मु0न0 48 किला न0 21, 22 की 0.506 हैक्टर व खाता संख्या 71/68 की मु0न0 15 किला न0 11, 20, 21 की 0.759 हैक्टर मु0न0 22 किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 21 की 3.289 हैक्टर मु0न0 33 किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.150 हैक्टर मु0न0 36 किला न0 1, 2, 9 ता 12 की 1.493 हैक्टर कुल 7.691 हैक्टर रकबा में 1.771 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर रकबा में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादी संख्या 1 व 2 चक न0 2 यू एम डब्लयू तहसील हनुमानगढ की जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 35/34 की प0न0 37/202 मु0न0 10 किला न0 11 ता 15 की 1.265 हैक्टर प0न0 37/203 मु0न0 13 किला न0 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर प0न0 37/204 मु0न0 16 किला न0 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर कुल 3.289 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण का नाम उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जरनैल सिंह का नाम कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। डिक्री मे वर्णित भूमि पर बैंक रहन की स्थिती मे बैंक रहन फक होने पर आदेश की पालना की जावे। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 10.2.2020 को जारी की गई।

10/2/2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 17:02:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: